

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक पुनरीक्षण मामला संख्या-164/2019

थाना कांड संख्या-वर्ष-0 थाना- जिला- पूर्वी चम्पारण से उत्पन्न

=====

1. हसीना खातून पत्नी-असज़ाद अंसारी, पुत्री मोहम्मद अल्लूद्दीन अंसारी, निवासी गाँव-पंडरी, थाना-ढाका (जमुआ), जिला-पूर्वी चंपारण, वर्तमान में, निवासी गाँव-चंदनबारा, थाना-ढाका, जिला- पूर्वी चंपारण।
2. जमुना पुत्री -असज़ाद अंसारी (अपनी माँ हसीना खातून के संरक्षण में), निवासी गाँव-पंडरी, थाना -ढाका (जमुआ), जिला-पूर्वी चंपारण, वर्तमान में-निवासी गाँव-चंदनबारा, पुलिस थाना -ढाका, जिला-पूर्वी चंपारण।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

असज़ाद अंसारी पुत्र-सफिक अंसारी, निवासी गाँव-पंडरी, थाना-ढाका, जिला-पूर्वी चंपारण।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता

विपक्षी पक्ष के लिए : श्री उपेंद्र कुमार, अधिवक्ता

न्यायमित्र : सुश्री सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता

=====

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 125—भरण-पोषण की राशि—याचिकाकर्ता और प्रतिवादी पक्ष विवाहित जोड़े हैं जिनकी एक बेटी है—दोनों पक्षों के अपने-अपने कहानी

के छोटे भाग हैं, पत्नी का दावा है कि उसे दहेज की अतिरिक्त मांग की गैर-पूर्ति के कारण पीड़ा किया गया और अंततः उसे प्रतिकूल पक्ष/पति द्वारा अपनी बेटी के साथ विवाहित घर से बाहर निकाल दिया गया—पति का दावा है कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यभिचारी जीवन जी रही है, उसकी (पति) ओर से दहेज की कोई मांग नहीं की गई—प्रतिवादी पक्ष को याचिकाकर्ताओं को 4,000/- रुपये (2,000/- रुपये प्रत्येक) भुगतान करने का निर्देश दिया गया, भरण-पोषण के लिए भत्ता याचिका दायर करने की तारीख से देय होना चाहिए—याचिका मंजूर—आपराधिक आदेश में संशोधन किया गया।

(पैराग्राफ 25 से 33)

(2001) 7 एससीसी 740; (2025) 2 एससीसी 49; (2008) 9 एससीसी 632—निर्भर किया गया।

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

सीएवी निर्णय

तारीख: 28-02-2025

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका, मोतिहारी के विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पूर्वी चंपारण द्वारा भरण-पोषण वाद संख्या 66/2012 में पारित दिनांक 12.12.2018 के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत विद्वान प्रधान न्यायाधीश ने विपक्षी पक्ष/असजद अंसारी को याचिकाकर्ता संख्या 1, जो विपक्षी पक्ष की पत्नी है, को आदेश की तिथि अर्थात् 12.12.2018 से भरण-पोषण के

लिए 1,500/- रुपये प्रतिमाह देने तथा मुकदमेबाजी लागत के लिए 5,000/- रुपये देने का निर्देश दिया है। हालांकि, विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने याचिकाकर्ता संख्या 2 को भरण-पोषण के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया है, जो याचिकाकर्ता क्रमांक 1 और विपक्षी पक्ष की पुत्री है, यद्यपि वह पारिवारिक न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता क्रमांक 2 भी थी।

2. याचिकाकर्ताओं द्वारा पारिवारिक न्यायालय में दाखिल भरण-पोषण याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता संख्या 1 हसीना खातून का विवाह वर्ष 2007 में इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार विपरीत पक्ष असजाद अंसारी के साथ हुआ था। विवाह के बाद वह अपने पति के ससुराल में रहने लगी और विवाह के बाहर याचिकाकर्ता संख्या 2 जमुना का जन्म हुआ जो पारिवारिक न्यायालय में भरण-पोषण याचिका के समय 4 वर्ष की थी। भरण-पोषण याचिका में आगे दिए गए कथन के अनुसार, विवाह के बाद विपरीत पक्ष/पति की ओर से 2,00,000/- रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग की जाने लगी और मांग पूरी न होने पर उसके साथ क्रूरता की गई और अंत में उसे वैवाहिक घर से निकाल दिया गया। इसलिए, धारा 498ए आईपीसी के तहत एक आपराधिक मामला विद्वान एस.डी.जे.एम. की अदालत में दर्ज किया गया। आगे के कथन के अनुसार, विपक्षी/पति बॉम्बे में एक बुटीक की दुकान चलाते हैं, जिससे उन्हें 30,000/- रुपये प्रति माह की आय होती है और उनके पास चार बीघा कृषि भूमि भी है, जिससे उन्हें लाखों रुपये की वार्षिक आय होती है। याचिकाकर्ता/पत्नी के आगे के कथन के अनुसार, विपक्षी के घर पर भी एक दुकान है। याचिकाकर्ताओं ने अपने भरण-पोषण के लिए 20,000/- रुपये प्रति माह की मांग की थी।

3. नोटिस पर विपक्षी पारिवारिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और अपनी पत्नी और बच्चे के भरण-पोषण की याचिका पर कारण बताओ नोटिस दायर

किया। उन्होंने दावा किया कि याचिका में लगाए गए आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं, और इसलिए भरण-पोषण याचिका खारिज किए जाने योग्य है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि दहेज की कोई मांग की गई थी और इसके लिए प्रताड़ित किया गया था। हालांकि, उन्होंने याचिकाकर्ता नंबर 1 के साथ अपनी शादी को स्वीकार किया है और यह भी स्वीकार किया है कि शादी के बाद, वह उनके वैवाहिक घर में शामिल हो गई। लेकिन यह दावा किया गया कि वह उनके साथ पूरे मन से नहीं रह रही थी। वह हमेशा उन्हें वैवाहिक घर छोड़ने की धमकी देती थी। याचिकाकर्ता/पत्नी के ऐसे आचरण के कारण, विपक्षी/पति और उसके परिवार के सदस्य उससे नाखुश थे। उन्होंने आगे दावा किया कि उनकी पत्नी उनकी अनुमति के बिना *मायके* चली जाती थी और अपनी मर्जी से *मायके* वापस आती थी और जब वह काम के लिए बॉम्बे जाते थे तो वह अपनी बेटी के साथ *मायके* चली जाती थी और जब विपक्षी पक्ष के परिवार के सदस्य उसे *मायके* वापस ले जाने के लिए जाते थे तो वह *मायके* वापस आने से साफ इनकार कर देती थी। जब वह 04.02.2012 को बॉम्बे से घर वापस आए तो वह अपनी पत्नी और बेटी को *मायके* ले जाने के लिए *मायके* गए, लेकिन उनकी मां ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया और कहा कि उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहेगी और यह बताया गया कि याचिकाकर्ता/पत्नी मोहम्मद अमानुल्लाह के साथ रह रही है और वह अपना शेष जीवन उसके साथ बिताएंगी। याचिकाकर्ता/पत्नी से व्यक्तिगत बातचीत के लिए वह उक्त अमानुल्लाह के घर गया, लेकिन उसने भी उसके साथ दुर्यवहार किया और उसके वैवाहिक घर में शामिल होने से इनकार कर दिया और उससे कहा कि अब वह उसे अपना पति नहीं मानती और न ही उसके घर वापस जाना चाहती है। इस तरह के आचरण की सूचना एसडीओ, सिकरहना के न्यायालय को दी गई। याचिकाकर्ता/पत्नी ने भी उसके साथ आए गवाहों की मौजूदगी में उसे तलाक दे दिया और उसके बाद उसे *दैन-मेहर* की रकम दे दी गई। इस तरह याचिकाकर्ता और विपक्षी के बीच वैवाहिक

संबंध समाप्त हो गया। उसने न्यायालय में तलाक याचिका संख्या 258/2012 दायर की है। इसलिए उसने दावा किया है कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह का भरण-पोषण पाने का हकदार नहीं है।

4. मुकदमे के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कुल पांच गवाहों की जांच की गई: अ.सा.-1 - वहीदा खातून (याचिकाकर्ता/पत्नी की मां), अ.सा.-2 - हसीना खातून, (याचिकाकर्ता/पत्नी स्वयं), अ.सा.-3 - तौसीफ अहमद, (हालांकि उन्हें अनजाने में अ.सा.1 के रूप में दिखाया गया है। वह याचिकाकर्ता/पत्नी का भाई है), अ.सा.-4 - सगीरा खातून, (हालांकि उन्हें अ.सा.-2 के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने याचिकाकर्ता/पत्नी की मां होने का भी दावा किया है), अ.सा.-5 - फातिमा खातून (हालांकि उन्हें गवाह के रूप में नहीं गिना गया है)।

5. याचिकाकर्ताओं द्वारा मुकदमे के दौरान कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं लाया गया है।

6. विपक्षी पक्ष ने तीन गवाहों से पूछताछ की है, जिनमें वह स्वयं भी शामिल हैं: ओ.पी.-1- सफीक अंसारी (विपक्षी पक्ष के पिता/पति), ओ.पी.-2- साहिम मियां (विपक्षी पक्ष के सह-ग्रामीण) और ओ.पी.-3- असजाद अंसारी (विपक्षी पक्ष स्वयं)।

7. याचिकाकर्ता संख्या 1 हसीना खातून, जिनसे अ.सा.-2 के रूप में पूछताछ की गई है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में अपनी याचिका में दिए गए बयानों को दोहराया है। हालांकि, अवसर दिए जाने के बावजूद विपक्षी पक्ष द्वारा उनसे जिरह नहीं की गई है। अ.सा.-1, वहीदा खातून ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी याचिका में दिए गए बयानों का समर्थन किया है। अवसर दिए जाने के बावजूद विपक्षी पक्ष द्वारा उनसे जिरह नहीं की गई है। अ.सा.-3, तौशीफ अहमद ने भी याचिकाकर्ताओं

द्वारा अपनी याचिका में दिए गए बयानों का समर्थन किया है। अवसर दिए जाने के बावजूद उनसे भी पूरी तरह जिरह नहीं की गई है।

8. अ.सा.-4, सगीरा खातून ने भी पटना में अपनी मुख्य परीक्षा में याचिकाकर्ताओं के बयानों का समर्थन किया है। हालांकि, उनसे भी पूरी तरह से जिरह नहीं की गई है। आंशिक जिरह के अनुसार, उनकी जिरह जारी रहनी थी, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि आगे जिरह हुई। इसलिए, उनकी जिरह पूरी नहीं हुई है।

9. अ.सा.-5, फातिमा खातून ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में याचिकाकर्ताओं के बयानों का समर्थन किया है। हालांकि, उनसे विपक्षी द्वारा जिरह भी नहीं की गई है। अदालत के सवाल पर, उन्होंने बयान दिया कि हसीना खातून उनकी भाभी हैं और उनके पति असजद अंसारी बॉम्बे में बुटीक का काम करते हैं। हसीना खातून एक समूह में काम करती हैं, जिससे उन्हें 2,000 से 4,000 रुपये मिलते हैं। हालांकि, वह कभी भी उस जगह नहीं गईं, जहां याचिकाकर्ता नंबर 1 का पति काम करता है। असजद अंसारी ने दूसरी शादी कर ली है और याचिकाकर्ता नंबर 1, 12 साल से अपने पति से अलग रह रही है, लेकिन वह अपने पति के साथ रहना चाहती है।

10. विपक्षी असजाद अंसारी, जिसकी ओ.पी.डब्ल्यू.-3 के रूप में जांच की गई है, ने स्वीकार किया है कि उसने याचिकाकर्ता संख्या 1 से विवाह किया था और विवाह के बाहर एक बेटी जमुना खातून पैदा हुई थी। उन्होंने आगे यह भी बयान दिया है कि विवाह से पहले ही याचिकाकर्ता संख्या 1 का अपने रिश्तेदार मो. अमानुल्लाह के साथ अवैध संबंध था और इसीलिए वह बिना किसी अनुमति के अपने ससुराल से चली जाती थी और विरोध करने पर झगड़ा करती थी और कई बार विरोध करने के बावजूद भी वह नहीं सुधरी और उसकी अनुपस्थिति में वह अपने सारे सामान के साथ वैवाहिक घर

से चली गई। जब वह याचिकाकर्ता/पत्नी के मायके गया तो उसकी मां ने उससे कहा कि वह उसके साथ नहीं जाएगी। वह घोड़ासहन के मो. अमानुल्लाह के घर चली गई थी और उसके साथ ही रहेगी। वह फिर से घोड़ासहन गया और उससे ससुराल आने का अनुरोध किया, लेकिन उसने उसके साथ आने से साफ इनकार कर दिया और उसने और मो. अमानुल्लाह ने उसके साथ दुर्यवहार किया। उसने यह भी कहा कि वह उसके साथ कोई रिश्ता जारी नहीं रखना चाहती। 10.02.2012 को एक पंचायती आयोजित की गई और उस पंचायती में उसने अपनी पत्नी को तीन *तलाक* देकर तलाक दे दिया और उसे *दैन-मेहर* की रकम भी वापस कर दी। यहां तक कि इद्दत की रकम भी उसे दे दी गई और उसके बाद वे अपना स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। उसने तलाक की डिक्री के लिए तलाक याचिका संख्या 258/2012 भी दायर की है। उसने यह भी दावा किया है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 आंगनबाड़ी सेविका है जो 3500 रुपये कमाती है। वह साधारण सिलाई का काम करता है और उसे अपने बूढ़े माता-पिता का भरण-पोषण भी करना पड़ता है। अपनी *जिरह* में उसने यह बयान दिया है कि वह बॉम्बे में एक निजी सिलाई की दुकान में काम करता है और प्रतिदिन 250 रुपये कमाता है। वह घोड़ासहन के मो. अमानुल्लाह को जानता है ।

11. विपक्षी पक्ष गवाह -1 और विपक्षी पक्ष गवाह -2, जो क्रमशः विरोधी पक्ष के पिता और सह-ग्रामीण हैं, ने भी विरोधी पक्ष के समर्थन में इसी तरह की गवाही दी है।

12. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना। चूंकि वैध सेवा के बावजूद विपक्षी पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं था, इसलिए श्री उपेंद्र कुमार, विद्वान एपीपी से विपक्षी पक्ष की ओर से न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया गया। सुश्री सोनी श्रीवास्तव को भी न्यायालय की सहायता के लिए इस मामले

में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है। इसलिए, मैंने श्री उपेंद्र कुमार और सुश्री सोनी श्रीवास्तव को भी सुना।

13. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 2 को भरण-पोषण के संबंध में कोई आदेश पारित न करके घोर अवैधता की गई है, जो पारिवारिक न्यायालय के समक्ष भी याचिकाकर्ता संख्या 2 थी। निर्विवाद रूप से, वह याचिकाकर्ता संख्या 1 और विपक्षी पक्ष के बीच विवाह से पैदा हुई नाबालिग पुत्री है। इसलिए, वह अपने पिता से भरण-पोषण पाने की हकदार है, लेकिन ऐसी हकदारी के बावजूद, उसके पक्ष में कोई भरण-पोषण नहीं दिया गया है।

14. उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता संख्या 1/पत्नी को विपक्षी/पति द्वारा दिए जाने वाले भरण-पोषण की राशि भी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर अपर्याप्त है। विपक्षी को अपनी बुटीक दुकान से 30,000 रुपये मासिक आय होती है, इसके अलावा जमीन जायदाद और विपक्षी के घर पर स्थित अतिरिक्त दुकान से भी आय होती है।

15. उन्होंने यह भी कहा कि भरण-पोषण राशि का भुगतान विवादित आदेश की तिथि से करने का निर्देश दिया गया है, जबकि धारा 125(2) द.प्र.स.. के तहत इसे भरण-पोषण याचिका दायर करने की तिथि से देय होना चाहिए था।

16. तथापि, विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री उपेंद्र कुमार ने विरोधी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया है कि यद्यपि विवादित आदेश पर इस बिंदु पर हमला किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता संख्या -2, जो याचिकाकर्ता संख्या -1 के साथ विरोधी पक्ष की शादी से बाहर की गई नाबालिग बेटी है, के पक्ष में कोई भरण-पोषण आदेश नहीं दिया गया है, जहां तक याचिकाकर्ता संख्या 1/पत्नी के पक्ष में दिए गए भरण-

पोषण की मात्रा का संबंध है, कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है। वास्तव में, वह अपने व्यभिचारी जीवन के कारण भरण-पोषण प्राप्त करने की भी हकदार नहीं थी। हालाँकि, इस आदेश को विरोधी पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए, विवादित आदेश को दरकिनार करने का कोई सवाल ही नहीं है। वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता/पत्नी और नाबालिग बेटी द्वारा बड़ी हुई दर पर भरण-पोषण के लिए दायर की गई है।

17. वह यह भी प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और विरोधी पक्ष के बीच विवाह पहले ही तलाक के माध्यम से भंग कर दिया गया है और इद्दत अवधि के लिए रखरखाव का भुगतान पहले ही विरोधी पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता संख्या- 1 को देय दीन-मेहर के भुगतान के अलावा किया जा चुका है और इसलिए, याचिकाकर्ता संख्या -1/पत्नी विरोधी पक्ष/पति से कोई भरण-पोषण प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

18. विद्वान न्यायमित्र सुश्री सोनी श्रीवास्तव ने मुस्लिम पत्नी या तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी को देय भरण-पोषण भत्ते के संबंध में कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया है। उन्होंने दानियाल लतीफी एवं अन्य बनाम भारत संघ, (2001) 7 एससीसी 740 से लेकर हाल ही में आए मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य एवं अन्य, (2025) 2 एससीसी 49 के फैसले तक लगभग सभी प्रासंगिक न्यायिक मिसालों का हवाला देते हुए कहा है कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के बावजूद, मुस्लिम पत्नी या मुस्लिम तलाकशुदा पत्नी धारा 125 द.प्र.स.. के तहत अपने पति या पूर्व पति से भरण-पोषण पाने की हकदार हैं, अगर वह अपनी शादी के दौरान या तलाक के बाद भी दोबारा शादी होने तक अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। 1986 अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए अधिकार पटना उच्च न्यायालय सीआर रेव के तहत बनाए गए अधिकारों के अतिरिक्त हैं न कि उनका हनन करते हैं। द.प्र.स.. 1973 के तहत भरण-पोषण के वैधानिक

प्रावधानों का उल्लेख किया है। अपनी दलील के समर्थन में, वह मोहम्मद अब्दुल समद मामले (उपरोक्त) के फैसले के अंतिम भाग का भी हवाला देती हैं।

19. उन्होंने यह भी कहा कि धारा 125(4) द.प्र.स.. के तहत पत्नी केवल तभी भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है, जब वह "व्यभिचार में रह रही हो"। यहां, "व्यभिचार में रहना" वाक्यांश का अर्थ है लगातार व्यभिचारी आचरण और याचिका दायर करने के समय या उसके बाद पत्नी की ओर से एक भी या कभी-कभार की गई चूक नहीं।

20. मैंने दोनों पक्षों और विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत निवेदन पर विचार किया।

21. पक्षकारों की दलीलों और अभिलेखों में प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार, मैं पाता हूँ कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और विपक्षी पक्षकारों के बीच मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह हुआ है। यहाँ तक कि विपक्षी पक्षकारों और विपक्षी पक्षकारों के बीच विवाहेतर संबंधों से याचिकाकर्ता संख्या 2 का जन्म भी स्वीकार किया गया है। हालाँकि, याचिकाकर्ता संख्या 1 और विपक्षी पक्षकारों द्वारा अलग-अलग रहने के कारण के बारे में परस्पर विरोधी दावे किए गए हैं। याचिकाकर्ता/पत्नी के अनुसार, दहेज की अतिरिक्त माँग पूरी न किए जाने के कारण उसे प्रताड़ित किया गया और अंततः विपक्षी पक्षकार/पति ने उसे उसकी बेटी के साथ वैवाहिक घर से निकाल दिया। हालाँकि, विपक्षी पक्षकार/पति के अनुसार, दहेज की कोई माँग नहीं की गई थी और इसके लिए किसी प्रकार की प्रताड़ना का कोई सवाल ही नहीं उठता। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता/पत्नी का विवाह से पहले से ही मोहम्मद अमानुल्लाह के साथ अवैध संबंध था और यह अवैध संबंध विवाह के बाद भी जारी रहा और इसलिए वह उसके घर पर पूरी तरह से नहीं रह रही थी और जब वह काम करने के लिए बॉम्बे गया, तो वह अपने परिवार के सदस्यों के विरोध के बावजूद अपने मायके वापस चली गई और

मोहम्मद अमानुल्लाह के साथ व्यभिचारी जीवन जीने लगी और उसके परिवार के सदस्यों के अनुरोध के बावजूद वह उसके वैवाहिक घर वापस नहीं आई। यहां तक कि जब विपक्षी बंबई से अपने घर लौटा और अपनी पत्नी को वापस अपने ससुराल ले जाने के लिए गया, तो उसकी सास ने बताया कि उसकी पत्नी उसके साथ वैवाहिक घर में नहीं आएगी और वह उसके साथ शेष जीवन बिताने के लिए मोहम्मद अमानुल्लाह के घर चली गई है और विपक्षी के आगे के बयानों के अनुसार, यहां तक कि जब वह अपनी पत्नी से व्यक्तिगत बातचीत करने के लिए अमानुल्लाह के घर गया, तो उसकी पत्नी और मोहम्मद अमानुल्लाह ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसने उसके वैवाहिक घर में आने से इनकार कर दिया और उसके साथ वहां गए लोगों की मौजूदगी में उसे तलाक दे दिया। यहां तक कि उसने उसे दिन-मेहर भी दिया। यहां तक कि पंचायत में भी उसने कहा कि उनके बीच वैवाहिक संबंध टूट गया है। इसलिए, उसने अपनी पत्नी को तीन तलाक देकर तलाक दे दिया है और तलाक के आदेश द्वारा अदालत में एक वैवाहिक मामला दायर किया गया है।

22. मुकदमे के दौरान, विपक्षी पक्ष और उसके गवाहों ने यह भी बयान दिया है कि याचिकाकर्ता/पत्नी *आंगनवाड़ी* सेविका है जिसका मासिक वेतन 3,500 रुपये है। लेकिन मुझे लगता है कि भरण-पोषण याचिका को चुनौती देने के लिए दायर किए गए कारण बताओ नोटिस में ऐसी कोई दलील नहीं थी। इस प्रकार, यह दावा बिना किसी पिछली दलील के साक्ष्य के दौरान पहली बार आया है। इसलिए, बिना किसी दलील के मुकदमे के दौरान इस तरह के बयान को स्वीकार करना अदालत के लिए उचित नहीं है। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि बिना किसी दलील के किसी भी साक्ष्य को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

23. मैं यह भी पाता हूँ कि विपक्षी पक्ष की बम्बई में बुटीक के काम से 30,000/- रुपये की मासिक आय के बारे में याचिकाकर्ता/पत्नी ने अपने भरण-पोषण याचिका में तथा मुकदमे के दौरान अपने साक्ष्य में लगातार दावा किया है, तथा इस दावे का समर्थन उसके अन्य गवाहों ने भी किया है। विपक्षी पक्ष ने इस बिंदु पर याचिकाकर्ता या उसके गवाहों से जिरह भी नहीं की है। यद्यपि अपने मुख्य परीक्षण में उसने दावा किया है कि वह एक दर्जी के रूप में काम करता है, जिसकी प्रतिदिन आय मात्र 250/- रुपये है तथा उसे अन्य स्रोतों से कोई आय नहीं है, इस न्यायालय के पास याचिकाकर्ता/पत्नी के इस दावे को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि विपक्षी पक्ष/पति की बुटीक के काम से 30,000/- रुपये की मासिक आय है, भले ही याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए आय के अन्य स्रोतों को किसी दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में स्वीकार न किया गया हो। अतः विपक्षी पक्ष की न्यूनतम आय 250/- रुपये मानी जाती है। 30,000/- प्रति माह और याचिकाकर्ता/पत्नी की आय के संबंध में विपक्षी पक्ष की ओर से कोई दलील न दिए जाने के कारण, पत्नी के पास अपना और अपनी नाबालिग बेटी का भरण-पोषण करने का कोई साधन नहीं है। ।

24. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अनुसार, विरोधी पक्ष की नाबालिग बेटी अपने पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार है। लेकिन मैंने पाया कि याचिकाकर्ता संख्या 2/नाबालिग बेटी को कोई भरण-पोषण देने के लिए विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

25. मैं यह भी पाता हूँ कि न्यायालय को विपक्षी पक्ष को याचिकाकर्ता/पत्नी को उसके भरण-पोषण के लिए 1,500/- रुपये प्रतिमाह देने के निर्देश की वैधता पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विपक्षी पक्ष/पति द्वारा ऐसे निर्देश को चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए, धारा 125 द.प्र.स.. के तहत याचिकाकर्ता/पत्नी के

भरण-पोषण के अधिकार पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि याचिकाकर्ता/पत्नी के व्यभिचारी जीवन के आरोप पर भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ताकि विवादित आदेश को रद्द किया जा सके, क्योंकि विपक्षी पक्ष/पति ने विवादित आदेश को चुनौती नहीं दी है।

26. हालांकि, इस मुद्दे पर कानून के बारे में स्पष्टता के लिए, यह कहना पर्याप्त होगा कि 1986 के अधिनियम के बावजूद, एक मुस्लिम पत्नी धारा 125 द.प्र.स.. के तहत अपनी शादी के अस्तित्व के दौरान अपने पति से रखरखाव प्राप्त करने की हकदार है, अगर वह खुद को बनाए रखने में असमर्थ है। तलाक के बाद भी, वह धारा 125 द.प्र.स.. के तहत अपने पूर्व पति से रखरखाव प्राप्त करने की हकदार है, अगर वह इदत अवधि के लिए रखरखाव के भुगतान या दैनमेहर के भुगतान के बावजूद खुद को बनाए रखने में असमर्थ है, अगर पूर्व पति ने इदत अवधि के दौरान उसके जीवन के लिए प्रावधान नहीं किया है या इदत अवधि के दौरान किए गए प्रावधान धारा 125 द.प्र.स.. के तहत आवेदन के समय खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। **दानियाल लतीफी केस (उपरोक्त)** और **मोहम्मद अब्दुल समद (उपरोक्त)** के हालिया फैसले पर भरोसा किया जाता है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी प्रासंगिक न्यायिक मिसालों को स्कैन करने के बाद इस विषय पर व्यापक रूप से विचार किया है, जिसका निष्कर्ष इस प्रकार है:

"115. हमारे अलग-अलग लेकिन सहमत निर्णयों से जो निष्कर्ष निकलता है, वह निम्नलिखित है:

115.1. धारा 125 द.प्र.स. मुस्लिम विवाहित महिलाओं सहित सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है।

115.2. धारा 125 द.प्र.स. सभी गैर-मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर लागू होती है।

115.3. जहां तक तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का सवाल है,

115.3.1. धारा 125 द.प्र.स ऐसी सभी मुस्लिम महिलाओं पर लागू होती है, जो विवाहित और तलाकशुदा हैं। विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध उपायों के अतिरिक्त विशेष विवाह अधिनियम।

115.3.2. यदि मुस्लिम महिलाएँ मुस्लिम कानून के अंतर्गत विवाहित हैं और तलाकशुदा हैं, तो धारा 125 द.प्र.स के साथ-साथ 1986 अधिनियम के प्रावधान भी लागू होंगे। मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के पास विकल्प है कि वे दोनों कानूनों में से किसी एक या दोनों कानूनों के अंतर्गत उपाय की तलाश करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1986 अधिनियम धारा 125 द.प्र.स के अपवाद में नहीं है, बल्कि उक्त प्रावधान के अतिरिक्त है।

115.3.3. यदि धारा 125 द.प्र.स का सहारा तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा भी लिया जाता है, जैसा कि 1986 अधिनियम के अंतर्गत परिभाषा के अनुसार है, तो 1986 अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पारित कोई भी आदेश धारा 127(3)(बी) द.प्र.स के अंतर्गत विचार में लिया जाएगा।

115.4. 1986 के अधिनियम का सहारा उक्त अधिनियम के तहत परिभाषित तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा उसके तहत आवेदन दायर करके लिया जा सकता है, जिसका निपटारा उक्त अधिनियम के अनुसार किया जा सकता है।

115.5. 2019 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अवैध तलाक के मामले में,

115.5.1. निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत राहत का लाभ उठाया जा सकता है या ऐसी मुस्लिम महिला के विकल्प पर धारा 125 द.प्र.स के तहत उपाय का भी लाभ उठाया जा सकता है।

115.5.2. यदि धारा 125 द.प्र.स के तहत दायर याचिका के लंबित रहने के दौरान, एक मुस्लिम महिला "तलाकशुदा" है, तो वह धारा

125 द.प्र.स के तहत सहारा ले सकती है या 2019 अधिनियम के तहत याचिका दायर कर सकती है।

115.5.3. 2019 अधिनियम के प्रावधान धारा 125 द.प्र.स.. के अतिरिक्त उपाय प्रदान करते हैं, न कि उससे अलग।

(जोर दिया गया)

27. ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों तथा विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत विपक्षी के इस दावे पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने अपनी पत्नी/याचिकाकर्ता संख्या 1 को तलाक दे दिया है, क्योंकि विपक्षी का यह मामला नहीं है कि इदत अवधि के दौरान उसने अपनी तलाकशुदा पत्नी के सम्पूर्ण जीवन के लिए प्रावधान किया है तथा वह उस प्रावधान के आधार पर अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है। विपक्षी का यह भी मामला नहीं है कि उसकी तलाकशुदा पत्नी ने पुनर्विवाह कर लिया है। केवल आरोप है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 व्यभिचारी जीवन जी रहा है। परन्तु ऐसा आरोप केवल संदेह पर आधारित है। उसके आरोप के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। सिद्ध तथ्य यह है कि उसकी पत्नी नाबालिग पुत्री के साथ अलग रह रही है तथा वह अपना तथा नाबालिग पुत्री का भरण-पोषण करने में असमर्थ है।

28. इसलिए, याचिकाकर्ता/पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी के विपरीत पक्ष से भरण-पोषण के अधिकार के बारे में कोई संदेह नहीं है।

29. इस न्यायालय के विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि याचिकाकर्ता/पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी को विरोधी पक्ष द्वारा देय भरण-पोषण की राशि क्या होनी चाहिए थी।

30. यहां, याचिकाकर्ता/पत्नी और याचिकाकर्ता/नाबालिग बेटी को देय भरण-पोषण की मात्रा तय करने से पहले, न्यायालय को न केवल विरोधी पक्ष की आय, बल्कि विरोधी पक्ष पर आश्रितों की संख्या पर भी ध्यान देना आवश्यक है। यहाँ, यह

पाया गया है कि याचिकाकर्ताओं के अलावा विरोधी पक्ष के माता-पिता और दूसरी पत्नी आश्रित हैं।

31. इसलिए, विपक्षी पक्ष को याचिकाकर्ता/पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी, जो याचिकाकर्ता संख्या 2 है, को उनके भरण-पोषण के लिए 2,000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश देना उचित और न्यायसंगत होगा। दूसरे शब्दों में, विपक्षी पक्ष को याचिकाकर्ताओं को उनके भरण-पोषण के लिए कुल 4,000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करना आवश्यक है।

32. अब, सवाल यह है कि क्या रखरखाव का भुगतान विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश की तारीख से या याचिकाकर्ताओं द्वारा रखरखाव याचिका दायर करने की तारीख से किया जाना चाहिए।

33. यहां यह बताना उचित होगा कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के अनुसार, याचिकाकर्ता भरण-पोषण याचिका दाखिल करने की तिथि से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ थे और विपक्षी पक्ष उन्हें कोई भरण-पोषण राशि नहीं दे रहा था। इसलिए, न्याय की मांग यह है कि भरण-पोषण भत्ता याचिका दाखिल करने की तिथि यानी 01.03.2012 से देय होना चाहिए था, न कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश की तिथि से। यहां धारा 125(2) द.प्र.स. का भी हवाला दिया जा सकता है जो न्यायालय को आवेदन की तिथि से भरण-पोषण का भुगतान करने का आदेश देने में सक्षम बनाता है। न्यायिक मिसाल के अनुसार, **शैल कुमारी देवी एवं अन्य बनाम कृष्ण भगवान पाठक, (2008) 9 एससीसी 632**, ऐसे आदेश के लिए कारण बताने की भी आवश्यकता नहीं है और इस आशय का केवल स्पष्ट आदेश ही पर्याप्त है।

34. इसलिए, यह आदेश दिया जाता है कि ऊपर दिए गए रखरखाव का भुगतान रख रखाव याचिका की तारीख से किया जाएगा, यानी 01.03.2012 से ।

35. इसलिए, वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है और विवादित आदेश को तदनुसार संशोधित किया जाता है।

36. सुश्री सोनी श्रीवास्तव, विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रदान की गई सहायता की अत्यधिक सराहना की जाती है। सचिव, पटना विधिक सेवा समिति को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश के एक माह के भीतर विद्वान न्यायमित्र को मानदेय के रूप में 15,000/- रुपये का भुगतान करें। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए पटना विधिक सेवा समिति को भेजें तथा इस आदेश की एक प्रति विद्वान न्यायमित्र को भी उनकी सूचनार्थ भेजी जाए।

37. कार्यालय को निचली अदालत का अभिलेख को बिना किसी देरी के संबंधित परिवार न्यायालय को वापस भेजने का भी निर्देश दिया जाता है।

(जितेन्द्र कुमार, न्यायमूर्ति)

रविशंकर/एस. अली/शोएब

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।